



दिनांक: 27-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते
में 2,34,999/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2026 को आवेदक मोहम्मद रजा पुत्र रिजवान अहमद निवासी चौक बाजदारान थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी कर 2,34,999/-रुपये की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में साइबर कम्प्लैन्ट नम्बर 33112250188655 से शिकायत प्राप्त हुयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-12/26 धारा-318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाना कुतुबशेर पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी 2,34,999/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि आवेदक मोहम्मद रजा उपरोक्त के खाते में वापस करायी गयी। आवेदक मोहम्मद रजा उपरोक्त द्वारा थाना कुतुबशेर की साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साइबर टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल सिंह थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
3. कम्प0आप0 ग्रेड-ए अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 1375 दिव्य प्रताप सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. म0का0 2130 राखी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. म0का0 887 रंकी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. म0का0 983 मीनू गिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से कुकर्म व पोक्सों एक्ट के मुकदमें में
वांछित बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया

घटना का विवरण:-

दिनांक 26.07.2026 वादी की लिखित तहरीर बाबत समीर पुत्र इसरार निवासी नाजिम कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र (उम्र 07 वर्ष) के साथ मारपीट कर कुकर्म करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 388/2026 धारा 115(2) बीएनएस व 5m/6 पोक्सों एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित 01 बाल अपचारी **समीर पुत्र इसरार निवासी नाजिम कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर** को जुल्मगढ़ की पुलिसिया पुराना कलसिया रोड से हिरासत में लिया गया। बाल अपचारी के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बाल अपचारी का नाम व पता –

समीर पुत्र इसरार निवासी नाजिम कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 235 विनित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधी की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **रिजवान पुत्र मतलूब निवासी रसूलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 175/25 व मु0अ0सं0 11/02 धारा 25ए एक्ट चालानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर) माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष संख्या-10 सहारनपुर को ग्राम रसूलपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. रिजवान पुत्र मतलूब निवासी रसूलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 1196 गौरव कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया** **गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि 23.07.2026 को वादी पवन पुत्र सुभाष निवासी ग्राम राडधना थाना सरधना जनपद मेरठ की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र मोहर सिंह 2. गौरब पुत्र मोहर सिंह 3. मोहर सिंह पुत्र नामालूम 4. सुदेश पत्नी मोहरसिंह 5. राधा पुत्री मोहर सिंह नि० गण ग्राम बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की बहन विशाखा को अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताडित करना तथा दहेज न देने पर वादी की बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 288/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सागर पुत्र मोहर सिंह निवासी बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम बडेडी घोघू से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सागर पुत्र मोहर सिंह निवासी बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है०का० 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. रि०का० 777 बबबू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



दिनांक- 27.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 बुलेट मोटर साइकिल व 01 आईफोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2026 को वादी दीपक पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम मखीजा कालोनी थाना माडल टाउन जिला पानीपत हरियाणा की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की बुलेट मोटर साइकिल रजि0 नं0 HR06DM6192 एवं आईफोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 125/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना के अनावरण एवं गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त **जान मौहम्मद उर्फ जानू पुत्र इजाजुद्दीन निवासी ग्राम सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर** को रविदास मंदिर के सामने फलाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गयी 01 बुलेट मोटर साइकिल **HR06DM6192** एवं 01 आईफोन बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि लगभग दो दिन पूर्व देहरादून में एक नाई की दुकान पर मेरी मुलाकात हरियाणा निवासी एक व्यक्ति से हुई थी। बातचीत के दौरान वह उक्त व्यक्ति के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से मुजफ्फरनगर की ओर आया। गणेशपुर टोल के आगे एक ढाबे पर हम दोनों ने शराब पी, जहां मैंने चालाकी से कम शराब पी तथा दूसरे व्यक्ति को अधिक पिला दी। नशे की हालत का फायदा उठाकर मैंने उसकी जेब से एप्पल मोबाइल फोन एवं बुलेट मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली तथा मोबाइल व मोटरसाइकिल चोरी कर देहरादून चला गया। आज मैं चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल बेचने के उद्देश्य से अपने गांव जा रहा था, तभी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जान मौहम्मद उर्फ जानू पुत्र इजाजुद्दीन निवासी ग्राम सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 बुलेट मोटर साइकिल (रजि0नं0 HR06DM6192)
- 01 आई फोन एप्पल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
3. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
4. का0 61 गौतम थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
5. का0 2275 रूपेश थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चैकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी **काला पुत्र दरोगा निवासी खालापट्टी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं०- 2066/2003, मु०अ०स० 145/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट) को खालापट्टी रणखण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

काला पुत्र दरोगा निवासी खालापट्टी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 2- है०का० 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 3- है०का० 641 अरुण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी
पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस 09 MM बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी/वाहन चोरी आदि अपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान दो अभियुक्तगण 1.इमरान पुत्र अकमल निवासी ग्राम नंगला झण्डा थाना बेहट जिला सहारनपुर 2.उस्मान पुत्र जहागीर निवासी मन्सूर कालोनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर को खारा पावर हाउस से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 देशी पिस्टल 09 MM मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 210/26 धारा 7/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. इमरान पुत्र अकमल निवासी ग्राम नंगला झण्डा थाना बेहट जिला सहारनपुर।
2. उस्मान पुत्र जहागीर निवासी मन्सूर कालोनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 देशी पिस्टल 09 MM
- 02 जिन्दा कारतूस 09 MM

अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 46/17 धारा 135 बीएनएस थाना बेहट जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 653/25 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बेहट जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 828 मोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1666 पंकज थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-27-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **सौराज पुत्र जनेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम रणमलपुर थाना नांगल सहारनपुर** (संबंधित वाद सख्या 1102/23 धारा 147/148/452/323/504/427 भादवि) को ग्राम रणमलपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौराज पुत्र जनेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम रणमलपुर थाना नांगल सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री रणपाल सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. है०का० 914 रणजीत सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-27-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.07.2026 को 07 वारण्टी अभियुक्तगण **1. वारंटी अभियुक्त संजू कुमार पुत्र बुगराम नि० मौ० तागान गणेश चौक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं० 2780/09 धारा 7/16 P ACT चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर मा० न्याया० प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 18 सहारनपुर) **2. वारंटी अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नि० बीडब्लूडी के सामने कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** (वाद सख्या 30412/22 मु०अ०स० 347/12 धारा 147/148/336/353/427 भादवि चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर मा० न्याया० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सहारनपुर) **3. वारंटी अभियुक्त नाथीराम पुत्र रधुनाथ नि० ग्राम सनौली थाना गंगोह जिला सहारनपुर** (वाद सख्या/मु०अ०स० 11/2019 धारा 323/325/504/506 भादवि मा० न्याया० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सहारनपुर) **4. वारंटी अभियुक्त अजय पुत्र जगमाल नि० ग्राम शेरगढ टापू थाना कुन्जपुरा जिला करनाल हरियाणा** (वाद सख्या 13266/24 मु०अ०स० 815/2019 धारा 147/148/323/427/504 भादवि मा० न्याया० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सहारनपुर) **5. वारंटी अभियुक्त संजीव पुत्र चन्द्रभान नि० ग्राम शेरगढ टापू थाना कुन्जपुरा जिला करनाल हरियाणा** (वाद सख्या 13266/24 मु०अ०स० 815/2019 धारा 147/148/323/427/504 भादवि मा० न्याया० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सहारनपुर) **6. वारंटी अभियुक्त बिट्टू पुत्र प्रीतम नि० ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** (वाद सख्या/मु०अ०स० 349/2011 धारा 60 आब० अधि० मा० न्याया० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सहारनपुर) को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता:-

1. संजू कुमार पुत्र बुगराम नि० मौ० तागान गणेश चौक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. लोकेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नि० बीडब्लूडी के सामने कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. नाथीराम पुत्र रधुनाथ नि० ग्राम सनौली थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
4. अजय पुत्र जगमाल नि० ग्राम शेरगढ टापू थाना कुन्जपुरा जिला करनाल हरियाणा।
5. संजीव पुत्र चन्द्रभान नि० ग्राम शेरगढ टापू थाना कुन्जपुरा जिला करनाल हरियाणा।
6. बिट्टू पुत्र प्रीतम नि० ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. उ०नि० महेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

4. हे0का0 488 चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
5. हे0का0 568 मन्दीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
6. हेका0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
7. रि0का0 957 सूरजपाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।



दिनांक 27.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज
चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/छिन्नाई/डकैती आदि घटनाओं की रोकथाम व इनमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **कासिफ पुत्र इकबाल निवासी जोगियान पुल समादार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को जुबली पार्क से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 187/2026 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कासिफ पुत्र इकबाल निवासी जोगियान पुल समादार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 2546 नवीत कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।